# न्यायालय अति.जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्याः– 7/2018 दायरा दिनांक 12.10.2018

**पीठासीन अधिकारी :– श्री हनुमान सिंह गुर्जर (आर.ए.एस.)**

**उनवान**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

धनराज पुत्र देवकिशन जाति धाकड़ निवासी बिलोदा तहसील किशनगंज जिला बारां

– प्रार्थी

**बनाम**

1. कमलाबाई पुत्री अमरलाल जाति चमार निवासी बिलोदा तहसील किशनगंज जिला बारां
2. कौशल्याबाई पुत्री अमरलाल जाति चमार निवासी बिलोदा तहसील किशनगंज जिला बारां
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगंज जिला बारां

– अप्रार्थीगण

उपस्थित :–

श्री नरेश कुमार नागर, अभिभाषक प्रार्थी।

**प्रार्थना–पत्र वास्ते निरस्त किये जाने आवंटन अंतर्गत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 वांके ग्राम बिलोदा ख.स. 54 रकबा 3.09 बीघा, ख.सं. 56 रकबा 6.05 बीघा।**

**निर्णय** दिनांक 05.02.2019

पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित। संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 14(4) के अंतर्गत प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को किये गये आवंटन को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया। सरिस्ता रिपोर्ट ली जाकर प्रार्थना पत्र उचित कोर्ट फीस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुये अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण क्रम 1 व 2 के पिता को किया गया आवंटन ग्राम बिलोदा तहसील किशनगंज जिला बारां के माल की आराजी ख.नं. 54 रकबा 3.09 बीघा, ख.नं. 56 रकबा 6.05 बीघा का आवंटन गलत रूप से कर दिया गया है जो, निरस्त होने योग्य है।

उक्त आवंटन की नकल न्यायालय एस.डी.ओ. किशनगंज से प्राप्त करने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जो दिनांक 10.09.2016 का रेकार्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण उक्त गलत रूप से हुये आवंटन की नकल प्राप्त नहीं हो सकी इसलिए अपीलान्ट द्वारा बारां रेकार्ड रूम में आवंटन प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया लेकिन बारां रेकार्ड रूम में भी आवंटन नकल प्राप्त नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज फरमा दिया गया। तथा राजस्व कर्मचारियों ने रेस्पोडेण्ट क्रम 1 व 2 के पिता के साथ सांठगांठ करके बिना विधिक प्रक्रिया अपनाऐं फर्जी तरीके से उक्त सम्वत 2035 से 2038 की जमाबन्दी में बिना आवंटन के ही नाम दर्ज कर दिया गया है। जबकि सम्वत 2032 की जमाबन्दी में उक्त आराजी सिवाय चक बंजड दर्ज है। इस कारण उक्त आराजी पर किया गया आवंटन एवं खातेदारी स्वतः ही खारिज होने योग्य है।

आराजी की आवंटन का कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है, कारण राजस्व कर्मचारियों ने मिली भगत करके रेस्पोडेण्टगण के पिता के नाम खातेदारी दर्ज कर दी तथा अमरलाल की मृत्यु होने के पश्चात् रेस्पोडेण्टगण ने पटवारी हल्का से मिली भगत कर अपने नाम पोती इन्तकाल तस्दीक करवा लिया है। जो सर्वथा गलत तथ्यों पर होने से खारिज होने योग्य है।

आवंटी अमरलाल ने अपने जीवनकाल में आवंटन शुदा आराजी को कभी भी कब्जा काश्त नहीं किया है, उक्त आराजी को अपीलान्ट वर्तमान में काबिज होकर काश्त कर रहा है तथा पूर्व में अपीलान्ट के पूर्वज दादा व उनके बाद ने पिता ने उक्त आराजी की काश्त किया है, इस प्रकार उक्त आराजी को अपीलान्ट अर्सा 40–50 वर्ष से निरन्तर काश्त कर रहा है इस कारण रेस्पोडेण्ट क्रम 1 व 2 के पिता अमरलाल किया गया आवंटन स्वतः ही निरस्त होने योग्य है, तथा अपीलान्ट अपने लगातार कब्जा काश्त के आधार पर उक्त आराजी को अपने नाम खाते दर्ज करवा पाने का अधिकारी नालिशी है।

करीबन 60 वर्ष से अपीलान्ट व उसके पूर्वजों का कब्जा काश्त कर रहें, तथा उक्त भूमि को प्रार्थी के पूवर्जो व प्रार्थी द्वारा काबिज काश्त बनाने में कापी पैसा व श्रम खर्च किया है तथा वर्तमान में उक्त आराजी पर सोयाबीन की फसल खडी हुई है जो अपीलान्ट द्वारा बोई गई है। आवंटन नियमों की पालना नहीं की गई है आवंटन के प्रथम वर्ष 50 प्रतिशत तथा इसके एक वर्ष पूर्व भूमि पर आवंटन को कब्जा करना आवश्यक है। लेकिन रेस्पोडेण्ट के पिता आवंटी ने आवंटन की किसी शर्त का पालना नहीं किया गया है तथा आवंटी को यह तक पता नहीं था उसे कोई भूमि का आवंटन कर दिया गया है, आवंटी व उसके वारिसान द्वारा आवंटन शर्तो का कभी पालना नहीं की गई है। इस कारण से रेस्पोडेण्ट के पिता अमरलाल के नाम किया गया आवंटन निरस्त होने योग्य है।

उक्त आवंटन से पूर्व किसी प्रकार से सार्वजनिक उद्घोषणा नहीं की गई है इस कारण आवंटन खारिज होने योग्य है। आवंटन करते समय पर उक्त आराजी मौके पर खाली नहीं थी, आवंटन पूर्व से ही अपीलान्ट उक्त आराजी पर काबिज काश्त चला रहा है इस कारण आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है।

रेस्पोडेन्टगण क्रम 1 व 2 ने उक्त आराजी महिला के खाते दर्ज होने से एस.सी., एस.टी. एक्ट का नाजायज फायदा उठाकर जबरन आराजी पर कब्जा करना चाहती है, तथा झूठे मुकदमों में पसाकर जेल भेजने की धमकियां दे रहे हैं। इस कारण रेस्पोडेण्ट क्रम 1 व 2 के विरूद्ध अपीलान्ट अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी व नालिशी है।

उक्त आराजी के सम्बन्ध में प्रार्थी की ओर से 1. श्री बृजमोहन सहरिया निवासी बिलोदा, 2. श्री रामनारायण पुत्र चुन्नी जाति धाकड निवासी पचलावडा, 3. श्री मदनलाल पुत्र रामगोपाल जाति धाकड निवासी पचलावडा, 4. श्री हंसराज पुत्र हीरालाल जाति धाकड निवासी पचलावडा, 5. श्री श्रीलाल पुत्र चुन्नीलाल जाति धाकड निवासी पचलावडा 6. श्री भरत सिंह पुत्र धीरज सिंह जाति राजपूत निवासी पचलावडा 7. श्री धनराज पुत्र देवकिशन जाति धाकड निवासी पचलावडा ने उपस्थित होकर शपथ

पत्र प्रस्तुत कर निवेदन कि किया ग्राम बिलोदा तहसील किशनगंज में ख.सं. 54 रकबा 3.09 बीघा ख.सं. 56 रकबा 6.05 बीघा कुल रकबा 9.14 बीघा आराजी स्थित है जिसको सम्वत 2024 से अपीलान्ट के दादा घासीलाल पुत्र गोपाल काबिज चले आ रहें है। जिसको गिरदावरी के कॉलम नं. 41 में अपीलान्ट के दादा के नाम हो रही है, अपीलान्ट भूमिहीन काश्तकार है तथा दादा भी भूमिहीन था। किन्तु राजस्व कर्मचारियों ने गलती से अमरलाल पुत्र हरबक्स चमार के 11.11.1975 को आवंटन कर दी अमरलाल ने अपने जीवनकाल में कभी भी काश्त नहीं किया। अमरलाल के फौत होने पर उसके वारिसानों के नाम इन्तकाल खोल दिया जो गलत है। अपीलान्ट ही उक्त आराजी पर काश्त करता चला आ रहा है। जिसको करीब 45 वर्षो से अधिक समय हो गया है। हमने कभी अमरलाल व उसके वारिसानों को काश्त करते हुये नहीं देखा उक्त ने आज दिन तक भी आराजी को नहीं देखा।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने लिखित बहस प्रस्तुत कर पूर्व कथनानुसार निवेदन किया कि ग्राम बिलोदा तहसील किशनगंज में खसरा संख्या 54 रकबा 3.09 बीघा, खसरा संख्या 56 रकबा 6.05 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 9.14 बीघा आराजी स्थित है जिसको आवंटन नियमों के विरूद्ध अप्राथी को आवंटन की है। आवंटी की जानकारी में आजतक यह पता नहीं है कि आराजी कहां है केवल महिला होने का नाजायज फायदा उठाना चाहती है। आवंटन होने पर आवंटी को उसी समय 50 प्रतिशत आराजी पर कब्जा लेना होता है परन्तु अपीलान्ट ने कभी कब्जा प्राप्त ही नहीं किया ना ही आराजी पर कभी भी काश्त नहीं की ना ही आराजी की सूरत देखी।

ग्राम बिलोदा तहसील किशनगंज में खसरा संख्या 54 रकबा 3.09 बीघा, खसरा संख्या 56 रकबा 6.05 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 9.14 बीघा आराजी स्थित है जिसको सम्वत 2024 से अपीलान्ट के दादा घासीलाल पुत्र गोपाल काश्त करते चले आ रहे हैं। जिसकी गिरदावरी के कॉलम नं0 41 में अपीलान्ट के दादा के नाम दर्ज हो रही है। अपीलान्ट भूमिहीन काश्तकार है तथा दादा भी भूमिहीन था। किन्तु राजस्व कर्मचारियों ने गलती से अमरलाल पुत्र हरबक्स चमार के 11.11.1975 को आवंटन कर दी जो खारिज होने योग्य है। आवंटन के समय आराजी बंजड किश्म की थी जो आवंटन योग्य नहीं है, तथा आवंटन के समय भूमि खाली नहीं थी इस कारण आवंटन खारिज किये जाने योग्य है। तथा आवंटी ने आवंटन नियमों का पालन नही ना ही आवंटी को यह पता है कि उसे कोई भूमि आवंटन कर दी है। आबंटी ने कभी भूमि पर काश्त नहीं की, आवंटन से पूर्व किसी प्रकार से सार्वजनिक उद्घोषणा नहीं की है इस कारण भी आवंटन खारिज होने योग्य है। अमरलाल ने अपने जीवनकाल में कभी भी उक्त आराजी को काश्त नहीं किया अमरलाल के फौत होने पर उसके वारिसानों के नाम इन्तकाल खोल दिया जो गलत है अपीलान्ट ही उक्त आराजी पर काश्त करता चला आ रहा है। जिसको करीब 45 वर्षो से अधिक समय हो गया है। इस कारण अमरलाल को किया गया आवंटन स्वतः ही खारिज हो जाता है। तथा अपीलान्ट उक्त आराजी को अपने खाते दर्ज करवाने का पात्र है।

हमने विद्वान वकील प्रार्थी के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का आद्यन्त अवलोकन किया। वकील प्रार्थी का कथन है कि वक्त आवंटन भूमि खाली नहीं थी। आवंटन से पूर्व उक्त आराजी पर प्रार्थी का कब्जा करीब 45 वर्षो से होना बताया है। गिरदावरी सम्वत 2024 में कॉलम नं. 41 में अपीलान्ट के दादा घासीलाल पुत्र गोपाल का नाम दर्ज है। जिसकी पुष्टि गिरवदारी सम्वत 2024 से होती है। इसी सम्बन्ध में बृजमोहन, रामनारायण, मदनलाल, हंसराज, श्रीलाल, भरतसिंह व धनराज द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम बिलोदा खसरा संख्या 54 रकबा 3.09 बीघा, खसरा संख्या 56 रकबा 6.05 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 9.14 बीघा आराजी स्थित है जिसको 2024 से अपीलान्ट के दादा घासीलाल पुत्र गोपाल काबिज चले आ रहे हैं। उक्त आवंटन भूमि पर अमरलाल ने अपने जीवनकाल में कभी भी काश्त नहीं किया। हमने कभी अमरलाल व उसके वारिसानों को कभी काश्त करते हुये नहीं देखा, उक्त ने आज दिन तक भी आराजी को नहीं देखा। उक्त भूमि को घासीलाल काश्त करते चले आ रहे थे इनके फौत होने के बाद उनके पुत्र धनराज का कब्जा है।

इस प्रकार विवादित आराजी पर अप्रार्थी का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। अप्राथीगण ने बाबजूद सूचना इस पर अपना कोई जबाब प्रस्तुत नहीं किया है। इस प्रकार दिनांक 11.11.1975 को ग्राम बिलोदा की ख.नं. 54 रकबा 3.09 बीघा व 56 रकबा 6.05 बीघा कुल किता 2, कुल रकबा 9.14 बीघा भूमि का आवंटन करने से पूर्व ऐलोटमेन्ट के पूर्व से ही कब्जा होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम बिलोदा की ख.नं. 54 रकबा 3.09 बीघा व 56 रकबा 6.05 बीघा कुल किता 2, कुल रकबा 9.14 बीघा अमरलाल पुत्र हरबक्स जाति चमार निवासी बिलोदा का आवंटन निरस्त किया जाता है। अतः पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहबाद (बारां)